भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 325
बुधवार, 3 दिसंबर, 2025 (12 अग्रहायण, 1947, (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी समितियों के सदस्यों को मिलने वाले लाभ

325**#** श्रीमती संगीता यादवः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति के पास अपने सदस्यों को लाभांश वितरित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स समिति में अपने सदस्यों को लाभांश वितरित करने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के सदस्यों के लिए लाभांश के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन से लाभ उपलब्ध हैं; और

(च) क्या बीबीएसएसएल अपने सदस्य किसानों को प्रोत्साहन योजनाओं या बोनस के रूप में अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख) जी हां, मान्यवर । राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) की उप-विधियों के अनुसार, समिति के निवल लाभ में से अपने सदस्यों को लाभांश वितरित करने का प्रावधान है। उप-विधियों के खंड 55(2)(ए) में प्रावधान है कि, अनिवार्य वैधानिक विनियोग के बाद, समिति सदस्यों को उनकी चुकता शेयर पूंजी के अंकित मूल्य पर 20% तक की दर से लाभांश का भुगतान कर सकती है, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुशंसित और सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, खंड 58 लाभांश भुगतान के तरीके, पात्रता और अवैतनिक लाभांश के प्रबंधन को निर्धारित करता है।

(ग) और (घ) जी हां, मान्यवर । राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की उपविधियों के अनुसार, समिति के निवल लाभ में से अपने सदस्यों को लाभांश वितरित करने का प्रावधान है। उपविधियों के खंड 55(2)(ए) में प्रावधान है कि, अनिवार्य वैधानिक विनियोग के बाद, समिति सदस्यों को उनकी चुकता शेयर पूंजी के अंकित मूल्य पर 20% तक की दर से लाभांश का भुगतान कर सकती है, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुशंसित

और सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, खंड 58 लाभांश भुगतान के तरीके, पात्रता और अवैतनिक लाभांश के प्रबंधन को निर्धारित करता है।

(ड.) जी हां, मान्यवर । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) अपनी सदस्य सहकारी समितियों को लाभांश के अतिरिक्त निम्नानुसार लाभ प्रदान करती है:

1. BBSSL के माध्यम से बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए सदस्य सहकारी समितियों को सेवा शुल्क का भुगतान किया गया ।

2. बीज का प्रापण निम्नलिखित में से अधिक कीमत पर किया जाता है:

 (i) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्लस 10%

 (ii) राज्य बीज निगम द्वारा निर्धारित मूल्य

 (iii) मंडी का मॉडल मूल्य

3. BBSSL उत्पादों का विपणन करने वाली सदस्य सहकारी समितियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

 (i) कोई सुरक्षा जमा नहीं लिया जाता है ।

 (ii) 10 से 18% ट्रेड मार्जिन (छूट) प्रदान किया जाता है

4. किसानों को वैज्ञानिक बीज उत्पादन, फसल कृषि विज्ञान और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों पर मुफ्त में प्रशिक्षण, शिक्षा और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

(च) जी नहीं, मान्यवर । BBSSL द्वारा अपने सदस्यों को कोई प्रोत्साहन योजना या बोनस प्रदान नहीं किया जाता है।
